| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज | न० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर**
**अपील संख्या– 72/2019 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट**
**(GCMS No. 2019/00168)**

अनवान:

1. राजकुमार पुत्र श्री देवाराम जाति नायक साकिन चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....अपीलांट

बनाम

1. चिमन लाल पुत्र श्री विनोद कुमार जाति नायक साकिन चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज., स्टेट वगैरह।

....रेस्पोर्डेंट्स

---

15.4.25

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज पेशी में ली गई । अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनुवानी अपील में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका हैं और अपीलांट अब इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहता एवं जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील जरिये विड्रो खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 के संबंध में अपनी अनापत्ति व्यक्त की हैं। अतः अपील अपीलांट जरिये विड्रावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय इस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर